



पत्रांक...../रा0आ0सं0, राँची, दिनांक.....

कार्यालय आदेश

स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 78(11) दिनांक 02.03.2021 के आलोक में राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान राँची के चिकित्सकों को दिसम्बर 2012 से 07 अक्टूबर 2014 तक की अवधि के गैर व्यवसायिक भत्ता (एन0पी0ए0) के भुगतान की स्वीकृति दी गई है इस आदेश के अनुसार चिकित्सकों से गैर व्यवसाय नहीं करने से संबंधित शपथ पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। निम्नलिखित चिकित्सकों के द्वारा शपथ पत्र कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है:-

क्र0 सं0	नाम	पद
1	डॉ0 स्व0 सुरेन्द्र कुमार सिंह	सह-प्राध्यापक
2	डॉ0 स्व0 सुशील कच्छप	प्राध्यापक
3	डॉ0 अनुभा विद्यार्थी	प्राध्यापक
4	डॉ0 ललिता खेस्स	सह-प्राध्यापक
5	डॉ0 जितेन्द्र कुमार	प्राध्यापक
6	डॉ0 सोमेश ठाकुर	सहायक प्राध्यापक
7	डॉ0 (श्रीमती) गोपा चौधरी	सह-प्राध्यापक
8	डॉ0 सुरेश कुमार टोप्पो	प्राध्यापक
9	डॉ0 प्रणिता श्रीवास्तव	ट्यूटर
10	डॉ0 कुमार अशुतोष	ट्यूटर
11	डॉ0 अनुप कुमार	प्राध्यापक
12	डॉ0 समरीना कमल	वरीय रेजिडेन्ट
13	डॉ0 राजीव कुमार रंजन	सह-प्राध्यापक
14	डॉ0 हर्ष प्रिया	सह-प्राध्यापक
15	डॉ0 रितेश कुमार	सह-प्राध्यापक
16	डॉ0 सतीश कुमार	वरीय रेजिडेन्ट

17	डॉ० मिनी सिन्हा	वरीय रेजिडेन्ट
18	डॉ० अमरदीप कुमार	वरीय रेजिडेन्ट
19	डॉ० आलोक चन्द्र प्रकाश	वरीय रेजिडेन्ट
20	डॉ० रोहित कुमार झा	वरीय रेजिडेन्ट
21	डॉ० निखत जबीन	वरीय रेजिडेन्ट
22	डॉ० सुरेन्द्र बास्की	वरीय रेजिडेन्ट
23	डॉ० अंशुमन रोहित तेवान	वरीय रेजिडेन्ट
24	डॉ० एम० सिराज अली	वरीय रेजिडेन्ट
25	डॉ० मासूमा पी० भेंगरा	वरीय रेजिडेन्ट
26	डॉ० अभिषेक कुमार	वरीय रेजिडेन्ट
27	डॉ० जिनत प्रवीण	वरीय रेजिडेन्ट
28	डॉ० आरती ज्योति	वरीय रेजिडेन्ट
29	डॉ० मुक्ती लता खेस्स	वरीय रेजिडेन्ट
30	डॉ० प्रवीण कुमार झा	वरीय रेजिडेन्ट
31	डॉ० राणा विरेन्द्र	वरीय रेजिडेन्ट
32	डॉ० जेवेश मल्लिक	वरीय रेजिडेन्ट
33	डॉ० अभिषेक रंजन	वरीय रेजिडेन्ट
34	डॉ० दिव्य सिंह	वरीय रेजिडेन्ट
35	डॉ० अनिता होरो	वरीय रेजिडेन्ट
36	डॉ० अदित्या प्रकाश	वरीय रेजिडेन्ट
37	डॉ० विश्वम्बर सिंह	वरीय रेजिडेन्ट
38	डॉ० विद्यानन्द	वरीय रेजिडेन्ट
39	डॉ० राकेश कुमार	वरीय रेजिडेन्ट
40	डॉ० गौरी कुमारी	वरीय रेजिडेन्ट
41	डॉ० रजनीश कुमार	वरीय रेजिडेन्ट

42	डॉ० ज्योति	वरीय रेजिडेन्ट
----	------------	----------------

उपरोक्त चिकित्सक अपना शपथ पत्र कार्यालय में अविलम्ब समर्पित करेंगे, ताकि उनके लम्बित गैर व्यवसायिक भत्ता (एन०पी०ए०) के भुगतान पर विचार किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक,

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।

ज्ञापांक. 2804 / रा०आ०सं०, राँची, दिनांक. 25/06/2021

प्रतिलिपि: डा० एस० बी० सिंह, नोडल पदाधिकारी, रिम्स बेबसाईट, रिम्स, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस सूचि को रिम्स बेबसाईट में अपलोड करवाने का कष्ट करें।

निदेशक,

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।

25/6/21

17/6/21